

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला झाबुआ

प्रकरण क्रमांक / ...133..... / 2019-2020

झाबुआ, दिनांक 29/01...../2020

सार्वजनिक सूचना

(मध्य प्रदेश शासन की 'आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अंतर्गत)

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12/12/2014 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अंतर्गत प्रस्तावित निम्नानुसार नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 अनुसार भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने से आवश्यकता है।

**—: अनुसूची :-
भूमि का वर्णन**

(क)	ग्राम का नाम	:-	दौलतपुरा
(ख)	तहसील	:-	रामा
(ग)	जिला	:-	झाबुआ
(घ)	लगभग क्षेत्रफल	:-	0.570

स.क्र.	भूमि धारक का नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	क्रय नीति के तहत प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1.	नामसिंग पिता धुरिया कलासिया जाति भीलाला पता झाबुआ मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	1027	0.00	0.240	0.240	—
2.	वालिया पिता पुना जाति भीलाला पता झाबुआ मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	1028/1	0.00	0.330	0.330	—
	योग		0.00	0.570	0.570	

- उपरोक्त कृषकों की भूमि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर झाबुआ के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी/अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ, एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रं. 30 मनावर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(प्रबल सिपाहा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, जिला झाबुआ (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. अपर संचालक विज्ञापन जन संपर्क संचालनालय, बाण गंगा रोड भोपाल म.प्र. की ओर दो हिन्दी समाचार पत्रों (एक स्थानीय ओर एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र) में प्रकाशन हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी कलेक्टोरेट झाबुआ की ओर उक्त सार्वजनिक सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
3. भू-अर्जन अधिकारी / अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ की ओर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. तहसीलदार रामा की ओर तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय कार्यपालन यंत्री संभाग क्रमांक 30 मनावर की ओर कृपया उक्त सार्वजनिक सूचना का समस्त स्तर पर प्रकाशन हो जाने पर सूचना की प्रति भू-अर्जन अधिकारी / अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
6. जिला नाजिर कलेक्टोरेट झाबुआ की ओर एक प्रति कलेक्टर न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(प्रबल सिपाहा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, जिला झाबुआ (म.प्र.)